

न्यायालय:—माखनलाल झोड़, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय—बैहर

आपराधिक पुनरीक्षण क्रमांक /11/2018

Filing No. CRR/229/2018

संस्थित दिनांक— 15.02.2018

CNR-MP50050003192018

मनीराम तेकाम उम्र 32 वर्ष पिता सुरजीत सिंह जाति गोण्ड  
निवासी—मछियाकोना थाना चिल्पी तहसील बोडला जिला कबीरधाम छ0ग0

— — — पुनरीक्षणकर्ता

// विरुद्ध //

म0प्र0 राज्य द्वारा:— वन परिक्षेत्र खापा बफरजोन कान्हा टाईगर  
रिजर्व जिला मण्डला म0प्र0

— — — उत्तरवादी

न्यायालय: श्री दिलीप सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा  
आवेदक के आवेदन अंतर्गत धारा 451 द.प्र.सं. में आदेश दिनांक 22.01.2018 से  
व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका पेश की है।

श्री हेमेन्द्र बिसेन एवं श्री योगेन्द्र बिसेन अधिवक्ता वास्ते पुनरीक्षणकर्ता।  
श्री अभिजीत बापट, ए.पी.पी. वास्ते गैरपुनरीक्षणकर्ता।

— / / / आदेश / / / —

(आज दिनांक **22 फरवरी 2018** को पारित)

1— पुनरीक्षणकर्ता ने यह पुनरीक्षण याचिका धारा 397 द0प्र0सं0 के अधीन  
न्यायालय श्री दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर द्वारा आवेदन  
अंतर्गत धारा 451 द.प्र.सं. का दिनांक 22.01.2018 को निरस्त किए जाने से परिवेदित  
होकर दिनांक 15.02.2018 को परिसीमा में पेश की है।

2— पुनरीक्षणकर्ता के विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 451 द.प्र.सं. को पेश कर वन परिक्षेत्र खापा बफर जोन कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला के पी0ओ0आर0 क्रमांक 1664/16 दिनांक 30.09.2017 में जप्तशुदा वाहन मोटरसायकल क्रमांक **सी0जी0 09 जे0ए0-6774** का वह पंजीकृत स्वामी है, के आधार पर स्वयं के उपयोग हेतु वाहन सुपुर्दगी पर दिए जाने के आवेदन पर सुनवाई करते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.01.2018 को आवेदन निराकृत करते हुए निरस्त किया है।

3— पुनरीक्षणकर्ता की पुनरीक्षण के आधार का सार यह है कि पुनरीक्षणकर्ता की मोटरसायकल क्रमांक सी0जी0 09 जे0ए0-6774 पी0ओ0आर0 क्रमांक 1664/16 धारा 39, (3) (ए), 48 (ए) वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में जप्तशुदा उक्त वाहन को वन अधिकारियों ने आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिए जप्त किया है। जप्त संपत्ति अपराध से संबंधित नहीं है। उक्त मोटरसायकल पुनरीक्षणकर्ता के दैनिक उपयोग करने वाली वस्तु है। वाहन खड़ा रहने से यांत्रिकी खराबी आवेगी। वाहन सुपुर्दगी पर प्राप्त कर मामले के अंतिम निराकरण तक सुरक्षित रखने तैयार है। पुनरीक्षणकर्ता समस्त आदेशों का पालन करने तैयार है। आदेश दिनांक 22.01.2018 अपास्त कर जप्तशुदा उक्त मोटरसायकल सुपुर्दगी पर दिए जाने का आदेश पारित किए जाने की याचना की है।

4— उभयपक्ष द्वारा किये गये तर्कों को विचार में लिया गया।

5— पुनरीक्षणकर्ता की ओर से श्री योगेन्द्र बिसेन अधिवक्ता ने तर्क कर निवेदन किया कि मौके पर वाहन स्वामी मौजूद नहीं था। वाहन स्वामी की पत्नि से घर में रखी मोटरसायकल अभियुक्तगण मांगकर उनके रिश्तेदारी में बैहर तहसील में शादी में आए थे। जप्तशुदा मोटरसायकल का उपयोग वन अपराध करने के लिए नहीं किया गया है। केवल जप्तशुदा वाहन पर अभियुक्तगण सवार होकर जप्तशुदा संपत्ति पहनकर यात्रा कर रहे थे इसलिए वन अपराध में यह वाहन जप्त है। आवेदक वाहन स्वामी वाहन का उपयोग करने से वंचित हो रहा है। वाहन खड़ा रहने से यांत्रिकी खराबी आवेगी, वाहन सुपुर्दगी पर दिए जाने की याचना की है और निवेदन किया है कि अधिरोपित शर्तों का वह पालन करेगा।

6— गैरपुनरीक्षणकर्ता/राज्य की ओर से श्री अभिजीत बापट ए0पी0पी0 ने तर्क कर निवेदन किया कि जप्तशुदा वाहन घटना को अंजाम देने के लिए उपयोग में लाया गया है, घोर आपत्ति व्यक्त कर पुनरीक्षण निरस्त किए जाने की याचना की है।

7— वन परिक्षेत्र खापा बफर जोन कान्हा टाईगर रिजर्व के पी0ओ0आर0 क्रमांक 1664/16 दिनांक 30.09.2017 की डायरी का अवलोकन किया गया। जप्तीपत्र के अनुसार चाही गई संपत्ति जप्त है। वन कक्ष क्रमांक 1095 के पास अभियुक्तगण के कब्जे से अनुसूची – I में दर्ज बाघ (Panthera Tigris) के 04 नाखून, 01 दाँत जप्त होना लेख है। आवेदक ने अन्य अभियुक्तों के साथ उक्त अपराध कारित करने में वाहन का उपयोग किया है। अभियुक्त वाहन प्राप्त करने पर अपराध की पुनरावृत्ति कर सकता है, यह अधिक अंदेशा है। अभिलेख के साथ संलग्न साक्ष्य के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 22.01.2018 को पारित किए गए प्रश्नाधीन आदेश में तथ्य की, विधि की, शुद्धता की त्रुटि नहीं है।

8— अतः प्रस्तुत पुनरीक्षण स्वीकार किए जाने योग्य न होने से अस्वीकार कर निरस्त की जाती है।

9— इस आदेश की एक प्रति विचारण न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क्रमांक 581/2017 म0प्र0 राज्य बनाम माथू वगैरह के साथ संलग्न कर भेजी जावे।

10— पुनरीक्षण पंजी से निरस्त हो, नतीजा पंजी में दर्ज हो, अभिलेख, अभिलेखागार में जमा हो।

आदेश हस्ताक्षरित व दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में पारित किया गया।

सही/—

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर

मेरे बोलने पर टंकित  
किया गया।

सही/—

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर